

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2371 /2019 दिनांक 20.11.2019

श्री अजिताभ आचार्य (RJ0174), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरौही को दिनांक 26.11.2019 से 28.11.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री आचार्य की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरौही इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरौही के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

 19.11.19

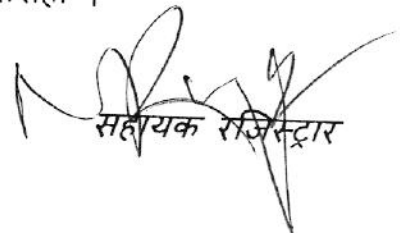
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/37/2013/10943

दिनांक 20.11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरौही को उनके पत्रांक 2403 दिनांक 15.11.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्री अजिताभ आचार्य (RJ0174), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरौही।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरौही।


सहायक रजिस्ट्रार